संख्या–34 / 2023 / 1696 / 77–6–23–2(एम) / 2022टीसी–2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा / नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यूपीडा / यीडा / गीडा / सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2023**

विषय– 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अंतर्गत स्वतंत्र (Stand-alone) अनुसंधान एवं विकास इकाई / फर्म (आर एंड डी यूनिट / फर्म) और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) एवं उत्कृष्टता केन्द्र (Centres of Excellence) की स्थापना हेतु प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि शासनादेश सं. 45 / 2022 / 2770 / 77–6–2022–2 (एम) / 2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर–12.5 में अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार को संरक्षित करने के लिए होने वाले व्यय की राज्य द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने का प्राविधान किया गया है। नीति में उक्त प्राविधानित प्रतिपूर्ति / वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नवत् दिशा–निर्देश / प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:–

2. स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन

2.1. **पात्रता** : नीति के अंतर्गत न्यूनतम ₹20 करोड की परियोजना लागत वाले 'स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन नीति में प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं–

2.1.1 निजी कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) या सरकारी संगठनों (केंद्र / उत्तर प्रदेश राज्य) द्वारा स्थापित किए गए अनुसंधान एंव विकास संगठन / एजेन्सी / केन्द्र जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

क) संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अतंर्गत स्थापित विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालयत् संस्थान एवं इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय।

ख) ऐसे गैर–शैक्षणिक संस्थान जो अनुसंधान, नवाचार व उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ भारत में पंजीकृत एक विधिक निकाय हों। उन्हें 10 वर्षों के अनुभव वाले न्यूनतम एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान/प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान/प्रतिष्ठित कंपनी/ नवाचार तथा उद्यमिता को बढावा देने में संलग्न सरकारी निकायों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके पास फोकस क्षेत्रों या इससे संबद्ध क्षेत्रों में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए।

ग) अनुसंधान एवं विकास इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के रूप में पंजीकृत लाभ निरपेक्ष विधिक निकाय (not-for-profit legal entity) को प्रदान की जाएगी।

घ) उ.प्र. सरकार द्वारा ऐसे अनुसंधान एवं विकास इकाईयों को नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो नवाचार, अनुसंधान, व्यावसायीकरण तथा स्टार्ट–अप प्रोत्साहन पर केंद्रित उद्योग, शैक्षणिक संस्थान व अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लाभ अर्जित करने वाले सीओई (CoE) को सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

2.1.2. **पात्र परियोजना लागत** का अभिप्राय भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, नीति अवधि के दौरान अनुसंधान कार्य हेतु संयंत्र व मशीनरी, उपकरण, टूल्स एवं प्रौद्योगिकी की अधिग्रहण लागत से है।

2.1.3. यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/इकाई संचालित की जा रही है तो औद्योगिक इकाई एवं अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/इकाई के मध्य सुस्पष्ट सीमांकन अनिवार्य है। तात्पर्य यह है कि अनुसंधान एवं विकास इकाई /केन्द्र का परिसर की चौहद्दी सुस्पष्ट द्रष्टव्य हो ताकि वैल्युअर को पूंजी निवेश की गणना करने में कोई परेशानी न हो। अनुसंधान एवं विकास इकाई का पंजीकरण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग भारत सरकार के अधीन होना चाहिए।

2.1.4. इन अनुसंधान एवं विकास केंद्रों/इकाई को भारत में स्थापित विनिर्माण इकाई के व्यवसाय से संबंधित नवीन अनुसंधान व विकास गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, यथा– नवीन तकनीकों का विकास, डिजाइन तथा इंजीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण व परीक्षण की नवीन विधियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाने वाले अनुसंधान कार्य आदि।

2.1.5. अनुसंधान एवं विकास केंद्र/इकाई, जो पूर्णतः बाजार अनुसंधान, कार्य एवं विधियों के अध्ययन, संचालन तथा प्रबंधन अनुसंधान, संचालन के लिए सामान्य प्रकृति का परीक्षण एवं विश्लेषण, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन–प्रतिदिन के उत्पादन के रखरखाव के लिए परीक्षण तथा संयंत्र के अनुरक्षण में संलग्न हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.2. **स्वीकार्य प्रोत्साहन**: नीति के अंतर्गत पात्र स्वतंत्र आर एंड डी केंद्रों/इकाईयों हेतु निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे–

2.2.1. स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (इसमें आर एंड डी केंद्रों का विकास सम्मिलित है) हेतु अधिकतम ₹10 करोड़ की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.2.1.1. परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत प्रतिपूर्ति की धनराशि का 50 प्रतिशत की प्रथम किस्त, अनुमोदन के 03 वर्षों के पश्चात 25 प्रतिशत धनराशि की द्वितीय किस्त तथा अंतिम 25 प्रतिशत धनराशि की किस्त 05 वर्षों में प्रतिबद्ध परिणामों की प्राप्ति पर प्रदान किया जाएगा।

2.2.1.2 नीति की प्रभावी अवधि में केवल 10 अनुसंधान एवं विकास इकाईयों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 10 इकाईयों का निर्धारण 'प्रथम आगत'– 'प्रथम पावत' सिद्धांत के आधार पर होगा। प्रथम आगत – प्रथम पावत का आधार लाभार्थी इकाईयों को प्राप्त होने वाले लेटर ऑफ कम्फर्ट का कम होगा। अर्थात जिस इकाई को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' सबसे पहले स्वीकृत होगा व प्रथम लाभार्थी होगा।

2.2.2. अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण पर किए गए व्यय का 50 प्रतिशत का प्रोत्साहन अनुमन्य होगा, जो अधिकतम ₹1 करोड़ की सीमा के अधीन होगा, जिसमें–

2.2.2.1. पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतक का अभिप्राय पात्र स्वतंत्र आर एंड डी इकाई/केंद्र द्वारा विकसित उत्पाद/तकनीक हेतु भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा शासित किसी संस्था द्वारा प्रदान किए गए किसी मानक प्रमाणपत्र/पंजीकरण से है।

2.2.2.2. इस प्रकार के प्रमाणन को विकसित अनुसंधान एवं विकास केंद्र/इकाई में किए गए शोध कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त/पंजीकृत किया जाना चाहिए।

2.2.2.3. इस प्रकार के प्रमाणन को संबंधित आवेदन के अनुमोदन के 05 वर्ष के भीतर स्वीकृत/पंजीकृत किया जाना चाहिए, अर्थात इस नीति के अंतर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति।

2.2.2.4. प्रोत्साहन हेतु ऐसे पेटेंट /कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतकों की प्रयोज्यता व प्रासंगिकता संबंधित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाएगी।

2.2.3. ये प्रोत्साहन आवेदक को तभी प्रदान किए जाएंगे, यदि आवेदक ने उसी आर एंड डी सुविधा हेतु राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का

दावा नहीं किया है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु दावे के साथ इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया जा सकता है।

2.3. **आवेदन प्रक्रिया** : आवेदक द्वारा प्रथमतः निवेश मित्र पोर्टल (अनुलग्नक–1 में पंजीकरण फॉर्म का प्रारूप उपलब्ध है) पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा तथा नोडल संस्था (इन्वेस्ट यू0पी0) के पक्ष में ₹ एक लाख की धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट), जो कि रिफण्डेबल होगी, जमा की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी निर्गत की जाएगी। यह धरोहर राशि आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि की प्रथम किस्त के वितरण के समय रिफण्ड कर दी जाएगी।

2.3.1. पंजीकरण के उपरांत, आवेदक द्वारा प्रोत्साहन धनराशि के दावे के संबंध में नोडल संस्था (इन्वेस्ट यू0पी0) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। एलओसी की स्वीकृति हेतु प्रपत्र (अनुलग्नक–2) तथा प्रोत्साहन के वितरण हेतु प्रपत्र (अनुलग्नक–3) के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख जमा किया जाएगा–

एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख	**वितरण हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख**
1. सी.ए. द्वारा प्रमाणित डीपीआर (प्रारूप–1) में स्टैंडअलोन आर एंड डी सुविधा का विवरण– • आर एंड डी सुविधा का नाम एवं स्थान • आर एंड डी सुविधा का प्रस्तावित प्रयोजन और उद्देश्य • अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रयुक्त उपकरण/संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की अनुमानित लागत • प्रस्तावित पंजीकरण/पेटेंट प्राप्त करने हेतु अनुमानित व्यय • अनुमानित प्रोत्साहन, जिसके लिए का दावा किया गया है 2. तकनीक/उत्पाद पंजीकरण पर प्रस्तावित परियोजना लागत व व्यय का विवरण– सीए प्रमाणित (प्रारूप –2)	1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार (डीएसआईआर) में अनुसंधान एवं विकास सुविधा के पंजीकरण की प्रति 2. सहायक प्रलेखों की प्रति के साथ आर एंड डी सुविधा का वास्तविक निवेश विवरण– सीए प्रमाणित (प्रारूप–2) 3. सहायक बिलों/चालानों की प्रति के साथ उत्पाद/प्रौद्योगिकी पंजीकरण/पेटेंट प्राप्त करने पर किए गए वास्तविक व्यय का विवरण (प्रारूप–2) 4. पंजीकरण/पेटेंट प्रमाण पत्र की प्रति 5. कोई अन्य अभिलेख/प्रपत्र (यदि आवश्यक हो)

3. **उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) हेतु प्रोत्साहन** उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर–12.6 में उत्कृष्टता केन्द्रों (Centres of Excellence) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय अनुदान प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया है।

3.1. **पात्रता–** नीति के अंतर्गत ऐसे 'उत्कृष्टता केंद्र' जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नीति के अंतर्गत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं, उन्हें इस नीति के अंतर्गत वित्तीय अनुदान प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन विचार किया जाएगा–

3.1.1. नीति के अंतर्गत वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के इच्छुक Centres of Excellence (CoE) में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :

क) सीओई (CoE) को अपने लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए और न्यूनतम 05 वर्ष की व्यावसायिक रणनीति होनी चाहिए, जो संस्था के लिए मार्गदर्शक प्रलेख के रूप में कार्य करे। इस प्रलेख को संस्था के वहद् लक्ष्यों, यथा– केंद्र का उद्देश्य, इसका फोकस क्षेत्र (प्रौद्योगिकी, व्यवसाय अवधारणा, कौशल आदि) कार्यक्षेत्र, अपेक्षित परिणाम, कार्यात्मक ढांचा, राज्य सरकार से संपर्क आदि पर केंद्रित होना चाहिए।

ख) दीर्घकालीन अवधि में सफल होने हेतु सीओई को अपने धन स्रोतों (जैसे राजस्व, लाइसेंसिंग सौदों, प्रशिक्षण/परामर्श सेवाओं, कॉर्पोरेट सहभागिता के माध्यम से) को चिन्हित करना चाहिए, ताकि वह स्वर्य को वित्तीय दृष्टि से स्थायी रूप से संचालित कर सके तथा केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर न रहे। इस उद्देश्य हेतु सीओई को न्यूनतम प्रथम 05 वर्षों के लिए अपनी बजट योजना को अधिक औपचारिक रूप देना चाहिए।

ग) सीओई को संचालन के छह प्रमुख क्षेत्रों के बारे में एक व्यापक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसमें नियोजन, स्टाफिंग, शासन, विपणन, कार्य–प्रदर्शन का मापन तथा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर केंद्र की स्थिति सम्मिलित है।

घ) सीओई के उद्देश्यों पर कार्य करने हेतु सीओई को 05 सदस्यों वाली एक कोर टीम (पूर्णकालिक) गठित करनी चाहिए। सीओई के प्रमुख को अकादमिक/प्रोफेशनल पृष्ठभूमि का होना चाहिए व उनको न्यूनतम 15 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

ङ) सीओई की संस्थापक टीम में ऐसे सदस्य होने चाहिए, जिनके पास अनुसंधान, नवाचार व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों से अधिक का समग्र अनुभव हो। टीम के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट या संबद्ध विषयों में 05 वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। सीओई की कोर टीम के न्यूनतम 02 सदस्यों के पास फोकस विषय–वस्तु या इसके संबद्ध क्षेत्रों में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए।

च) सीओई द्वारा उसके फोकस क्षेत्र में उद्यमिता/अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु न्यूनतम दो राज्य सहायातित इन्क्यूबेटरों/अनुसंधान केंद्रों के साथ भागीदारी (एमओयू के रूप में) विकसित करनी चाहिए, जिससे देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता में मदद मिल सके।

छ) इसी प्रकार, सीओई का उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 02 बड़े कॉर्पोरेट्स व राज्य में न्यूनतम 05 एसएमई के साथ भली प्रकार से परिभाषित द्विपक्षीय संबंध होना चाहिए जिससे सीओई को उनकी प्रौद्योगिकी स्वीकृति, उनके अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बाजार सत्यापन को बढ़ावा देने का अवसर मिल सक तथा

उद्योग क्षेत्र के सभी स्तरों पर अपने उत्पादों एवं इनक्यूबेटीज़ के लिए खरीदार कनेक्शन की सुविधा प्राप्त हो सके।

3.1.2. ऐसे सीओई निजी कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) या सरकारी संस्थाओं (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों) द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

क) संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अतंर्गत स्थापित विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयत् संस्थान एवं इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालय।

ख) ऐसे गैर–शैक्षणिक संस्थान जो अनुसंधान, नवाचार व उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ भारत में पंजीकृत एक विधिक निकाय हों। उन्हें 10 वर्षों के अनुभव वाले न्यूनतम एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान/प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान/प्रतिष्ठित कंपनी/ नवाचार तथा उद्यमिता को बढावा देने में संलग्न सरकारी निकायों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके पास फोकस क्षेत्रों या इससे संबद्ध क्षेत्रों में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए।

ग) एक सीओई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता एक सोसायटी/ ट्रस्ट/कंपनी के रूप में पंजीकृत एक लाभ–निरपेक्ष विधिक निकाय (not-for-profit legal entity) के लिए विस्तारित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधानों के अधीन एक सीओईए द्वारा उद्योग, एक अकादमिक संस्थान व नवाचार, अनुसंधान, व्यावसायीकरण तथा स्टार्ट–अप प्रोत्साहन पर केंद्रित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लाभ अर्जित करने वाले सीओई को सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

घ) सदस्य संगठनों या कॉनसोर्टियम की आयु न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। उ.प्र. सरकार अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों के साथ सहभागिता का स्वागत करेगी।

ङ) सीओई की अध्यक्षता करने वाली कानूनी इकाई को सीओई के समग्र वित्त पोषण में न्यूनतम 30 प्रतिशत का योगदान देना चाहिए।

3.1.3. इन सीओई द्वारा उद्यमिता का पोषण किया जाना चाहिए व संसाधन दक्षता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता सुधार तथा इंडस्ट्री–4.0 के लिए विनिर्माण से संबंधित नवीन अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। इन सीओई द्वारा राज्य में उद्योग हेतु अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और अन्य सुविधायें प्रदान की जाएगी।

3.1.4. वित्तीय अनुदान हेतु ऐसे सीओई स्थापित करने के लिए फोकस उद्योगों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को एचएलईसी की संस्तुति पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संशोधित एवं अद्यतन किया जा सकता है।

1. ऑटोमोबाइल उद्योग
2. फार्मा व थोक दवा उद्योग
3. विशिष्ट इस्पात उद्योग
4. खाद्य उत्पाद (रेडी टू ईट/रेडी टू कुक) उद्योग
5. प्लास्टिक उद्योग

3.1.5. सीओई के फोकस क्षेत्र के आधार पर, इसके उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है। सीओई के मुख्य लक्ष्यों व गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

1. अनुसंधान कार्य करना
2. मार्गदर्शन प्रदान करना
3. प्रशिक्षण प्रदान करना
4. एक नई प्रोद्योगिकी का कार्यान्वयन, प्रबंधन एवं उपयोग
5. अनुकूलन, प्रबंधन और एक नए या विशेष कौशल या अवधारणा का उपयोग
6. कार्य मानकों के सापेक्ष अपने उत्पादों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का आकलन या दूसरों को आकलन करने में मदद करना।
7. प्रत्यक्ष (अर्थात, व्यक्तिगत रूप से)/या अप्रत्यक्ष (जैसे, निर्देशात्मक सामग्री, उपकरण व टेम्पलेट आदि) मार्गदर्शन प्रदान करना और इन सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्य मानकों को लागू करने में संगठनों/स्टार्टअप की सहायता करना
8. उत्तर प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों की समस्याओं का कम लागत वाला समाधान खोजने में सहायता उपलब्ध कराना।

3.2. **स्वीकार्य प्रोत्साहन**: नीति के अंतर्गत पात्र सीओई के लिए निम्नलिखित वित्तीय अनुदान अनुमन्य होंगे–

3.2.1. सीओई परियोजना लागत का 50 प्रतिशत ₹10 करोड़ की सीमा के अधीन अनुदान प्रदान किया जाएगा। वार्षिक रूप से वितरित की जाने वाली वास्तविक राशि सीओई की प्रस्तुत परियोजनाओं पर निर्भर करेगी।

3.2.2. परियोजना लागत का अभिप्राय भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर अनुसंधान कार्य के लिए नीति की अवधि के दौरान सीओई की स्थापना के लिए प्राप्त किए गए संयंत्र व मशीनरी, उपकरण, टूल्स तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की लागत से है।

3.2.3. वित्तीय अनुदान आवेदक को तभी प्रदत्त होंगे, यदि आवेदक ने प्रश्नगत आरएंडडी सुविधा हेतु राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत दावा किए गए किसी भी प्रोत्साहन के साथ इस वित्तीय अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है।

3.2.4. नीति की अवधि में अधिकतम 10 ऐसे सीओई को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा (जो ऊपर निर्दिष्ट स्वीकार्य क्षेत्र में प्रति क्षेत्र अधिकतम 02 सीओई की सीमा के अधीन होगा)।

3.3. **आवेदन प्रक्रिया**– लाभार्थी सीओई द्वारा पहले निवेश मित्र पोर्टल (अनुलग्नक–1 में पंजीकरण फॉर्म का नमूना उपलब्ध है) पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा तथा नोडल संस्था (इन्वेस्ट यू0पी0) के पक्ष में ₹ एक लाख की धरोहर राशि (रिफण्डेबल) जमा की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी निर्गत की जाएगी। यह धरोहर राशि आवेदक को अनुदान धनराशि वितरण के समय वापस कर दी जाएगी।

3.3.1. पंजीकरण के उपरांत, आवेदक द्वारा वित्तीय अनुदान के दावे हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। एलओसी की स्वीकृति हेतु (अनुलग्नक–1) तथा वित्तीय अनुदान के वितरण हेतु (अनुलग्नक–3) व निम्नलिखित अभिलेख जमा किया जाएगा–

1. परियोजना रिपोर्ट – वाह्य सी.ए. द्वारा प्रमाणित। (प्रारूप–1)
2. संस्थान/संगठन का पंजीकरण प्रमाणपत्र
3. संयुक्त उपक्रम के सहभागियों का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
4. गत तीन वर्षों हेतु आवेदक (आवेदकों) के खातों का लेखापरीक्षित विवरण, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा अनुमोदित है
5. आवेदक (आवेदकों) की गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा अनुमोदित किया गया है
6. प्रौद्योगिकी/उत्पाद पंजीकरण–सी.ए. प्रमाणित (प्रारूप–2) पर प्रस्तावित परियोजना लागत और व्यय का विवरण
7. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–3)

3.3.2. सीओई की स्थापना हेतु प्रस्ताव के साथ गठित संगठन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र होना चाहिए। शैक्षिक संस्थान के प्रकरण में, प्रस्ताव के साथ संस्थान के प्रमुख, जो प्रस्ताव को अग्रेषित करे, का एक पृष्ठांकन पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार के संस्थानों/राज्य निगमों/प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहभागिता के प्रकरण में आवेदन के साथ सरकारी संस्थानों/राज्य निगमों/प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख का पृष्ठांकन पत्र होना चाहिए।

3.3.3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रकरण में उपनियमों/एसोसिएशन के मेमोरेंडम की एक प्रति, सीओई के मूल संस्थान के रूप में कार्य करने वाले निजी/अन्य संगठनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। सहभागिता के प्रकरण में, यदि संगठन की अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों या उद्योगों के साथ सहभागिता है, तो आवेदन के साथ समझौता–ज्ञापन की एक प्रति जमा की जानी चाहिए।

3.3.4. वार्षिक रिपोर्ट के साथ सीओई का वार्षिक लेखा/बैलेंस शीट जमा करना आवश्यक है।

3.4. **आवेदन मूल्यांकन प्रक्रिया–**

3.4.1. नोडल संस्था में नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा नीति के अंतर्गत स्वतंत्र आर एंड डी केंद्रों या सीओई हेतु आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। पीआईयू में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

3.4.1.1. पीआईयू की अध्यक्षता इन्वेस्ट यूपी के एक नामित नोडल अधिकारी करेंगे, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इनवेस्ट यूपी के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

3.4.1.2. पीआईयू में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शदाताओं एवं अनुभवी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे।

3.4.1.3. पीआईयू को व्यक्तियों या फर्मों या संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अभियंताओं, लागत लेखाकारों आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

3.4.2. पीआईयू द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण किया जाएगा तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटियों एवं विसंगतियों हेतु आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

3.4.3. यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पीआईयू में नोडल अधिकारी आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में सूचित करेगा तथा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऐसे प्रकरणों पर आवेदक से ऑनलाइन उत्तर मांगा जाएगा।

3.4.4. पीआईयू द्वारा प्रस्तावित परियोजना की प्रासंगिकता व प्रभाव पर संबंधित राज्य/केंद्रीय विभाग एवं संबंधित संस्थाओं से टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएंगी।

क) आर एंड डी इकाई/केंद्र या सीओई के विकास हेतु प्रोत्साहन के निमित्त आवेदनों की प्रासंगिकता की मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी आर्थिक क्षमता, व्यावसायीकरण की प्रकृति, प्राप्त किए जाने वाले पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतकों के विवरण व सामाजिक प्रभाव के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ख) एलओसी की स्वीकृति हेतु केवल मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित आवेदनों पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

3.4.5. नोडल संस्था इस प्रकार का परीक्षण पूर्ण करके, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक से उत्तर मांगा जाएगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा। आवेदन के पूर्ण होने तक नोडल संस्था द्वारा आवेदक से अनुवर्ती पृच्छाएं भी की जा सकती हैं। इन पृच्छाओं के निमित्त, नोडल संस्था और आवेदक दोनों के लिए 15 दिनों की समय सीमा लागू है।

3.4.6. जब आवेदन पूर्ण हो जाएगा, तो पीआईयू का नोडल अधिकारी द्वारा आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी को संस्तुति की जाएगी।

3.4.7. पावती प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत ही एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन की समीक्षा प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। यह पावती प्रमाणपत्र नीति के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति का प्रमाण मात्र है।

3.4.8. नोडल संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। यदि इस समय सीमा में पृच्छाओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा आवेदक को आवेदन एक अन्य अवसर दिया जाएगा।

3.4.9. प्रारंभिक परोक्षणोपरांत, पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या किसी अन्य संस्था, यथा– नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च व प्राविधिक शिक्षा आदि को एलओसी स्वीकृति वितरण हेतु प्राप्त आवेदनों को अग्रेषित किया जाएगा, जो एक सप्ताह के भीतर नोडल संस्था को अपनी टिप्पणी प्रदान करेंगे।

3.4.10. वितरण आवेदनों हेतु, पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा अपनी सूचीबद्ध सी. ए. फर्मों के माध्यम से नीति के प्राविधान के अनुसार आवेदक द्वारा अवगत कराई गई परियोजना लागत पर परीक्षण व प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी। नोडल संस्था द्वारा अपने सूचीबद्ध परामर्शियों/मूल्यांकनकर्ताओं/अभियंताओं के माध्यम से परियोजना स्थल पर पात्र परियोजना लागत (अर्थात् संयंत्र व मशीनरी/ उपकरण/ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) की स्थापना एवं सत्यापन की जांच करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

3.4.11. नोडल संस्था में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट व अभियंता/मूल्यांकनकर्ता प्रासंगिक उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास के समन्वय से आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार 'परियोजना लागत' की वास्तविक स्थिति का आकलन व सत्यापन किया जाएगा।

3.4.12. संबंधित विभागों व सी.ए./सी.ई. की टिप्पणियों के आधार पर, पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी तैयार की जाएगी तथा एजेंडा नोट को अंतिम रूप देने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी को टिप्पणियों के साथ आवेदन

प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी द्वारा एजेंडा नोट को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा तथा समीक्षा हेतु मूल्यांकन समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

3.4.13. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति आवेदन का मूल्यांकन करेगी। नोडल संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन समिति द्वारा पावती प्रमाण पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर एजेंडा नोट की समीक्षा कर ली जाए।

3.4.14. मूल्यांकन समिति का संघटन (Composition) निम्नवत है–

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	**अध्यक्ष**
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
कोई अन्य संबंधित केंद्र सरकार/राज्य सरकार का विभाग/संबंधित संस्था (यथावश्यकता)	सदस्य
प्रबंध निदेशक, पिकप	सदस्य
वित्त नियंत्रक, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य राज्य सरकार/केंद्र सरकार के विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास, व्यावसायीकरण, उद्यमिता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सीओई के विशेषज्ञों के लिए आवेदनों की समीक्षा हेतु मूल्यांकन समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में भी आमंत्रित किया जा सकता है।

3.4.15. मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) हेतु संस्तुति व अनुमोदन हेतु एजेंडा नोट का अंतिमीकरण किया जाएगा।

3.5. एचएलईसी द्वारा आवेदनों के अंतिम अनुमोदन हेतु संस्तुति की जाएगी। नोडल संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी द्वारा एजेंडा नोट को अंतिम रूप दिए जाने के 90 दिनों के भीतर एचएलईसी एजेंडा नोट की समीक्षा पूर्ण कर ली जाए।

3.5.1. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) का संघटन निम्नवत है:–

मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य

3.5.2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति से आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।

3.5.3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति से किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख, जिनसे प्रोत्साहन–लाभ का अनुरोध किया गया है, को भी आवश्यकतानुसार सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

3.5.4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति से अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास, व्यावसायीकरण, उद्यमिता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सीओई के लिए आवेदनों की समीक्षा के लिए भी इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एचएलईसी के विशेष आमंत्रियों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

3.6. एचएलईसी की संस्तुतियों के आधार पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के अंतिम अनुमोदन हेतु आवेदन अग्रसारित किया जाएगा।

3.6.1. लाभ का दावा करने की पात्रता हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एलओसी की स्वीकृति का अनुमोदन नीति की प्रभावी अवधि के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

3.6.2. एलओसी स्वीकृति हेतु आवेदनों के अनुमोदन के बाद, नोडल संस्था संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदक को एलओसी जारी की जाएगी।

3.6.3. इसी प्रकार, प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु आवेदनों के अनुमोदन के उपरांत, नोडल संस्था द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन राशि, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित विधि से, सीधे आवेदक इकाई के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

3.6.4. नोडल संस्था यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया जाए।

3.7. स्टैंडअलोन आर एंड डी सुविधा के विकास हेतु प्रोत्साहन का वितरण नीति के प्रस्तर 12.5.1(iv) में परिभाषित प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3.7.1. स्वीकृत प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत नोडल संस्था द्वारा परियोजना के अनुमोदनोपरांत अर्थात एलओसी की स्वीकृति पर वितरित किया जाएगा।

3.7.2. अनुवर्ती किस्त, अर्थात स्वीकार्य प्रोत्साहन का 25 प्रतिशत एलओसी की स्वीकृति के 03 वर्ष बाद वितरित किया जाएगा।

3.7.3. अंतिम किस्त, अर्थात स्वीकार्य प्रोत्साहन का 25 प्रतिशत 05 वर्षों में परिणाम प्राप्त करने पर वितरित किया जाएगा। अंतिम किस्त का दावा करने हेतु प्राप्त/पंजीकृत पेटेंट/कॉपीराइट /ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतकों के सुसंगत अभिलेखों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

3.7.4. आवेदक द्वारा प्रोत्साहन राशि की प्रत्येक किस्त के भुगतान हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नोडल संस्था द्वारा प्रत्येक आवेदन हेतु समान प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

3.7.5. पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व भौगोलिक संकेतकों को पंजीकृत करने हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन का वितरण, स्टैंडअलोन आर एंड डी केंद्र द्वारा पंजीकरण/अधिग्रहण से संबंधित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

3.8. सीओई हेतु अनुदान निम्नानुसार अवमुक्त किया जाएगा–

3.8.1. यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, 05 वर्ष की अवधि में द्वि–वार्षिक रूप से अनुदान की पूर्ति होगी।

3.8.2. सीओई को बोर्ड नामक सर्वोच्च निकाय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। बोर्ड की अध्यक्षता सीओई के प्रमुख द्वारा की जानी चाहिए। सीओई के बोर्ड को सीओई की प्रगति की समीक्षा करने व नीतिगत दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु प्रत्येक तीन (03) माह में बैठक करनी चाहिए। सीओई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा संचालन, स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप है तथा गतिविधियों को अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया गया है। बोर्ड को त्वरित व पारदर्शी निर्णय लेने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पर्याप्त स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए।

3.8.3. अनुदान प्रदान किए जाने तक बोर्ड उनकी प्रगति व उपलब्धियों के संबंध में पीआईयू, मूल्यांकन समिति तथा एचएलईसी के प्रति उत्तरदायी होगा।

3.8.4. सीओई द्वारा एक व्यक्ति को पीआईयू हेतु संपर्क बिंदु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सीओई को अपनी वार्षिक गतिविधि कैलेंडर द्विवार्षिक रूप से पीआईयू को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सीओई द्वारा त्रैमासिक रूप से समस्त कार्यक्रमों के विषय में पीआईयू को कार्यक्रमों व परिसर के चित्रों सहित सभी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

3.8.5. सीओई को ज्ञान के प्रसार हेतु संस्थानों/कंपनियों संग सहभागिता विकसित करनी चाहिए तथा इन संगठनों को उनके संरचनात्मक परिवर्तनों में सहायता करनी चाहिए। उक्त सभी गतिविधियों की रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर पीआईयू को प्रदान की जानी चाहिए।

3.8.6. उपर्युक्त के आधार पर, सीओई की प्रगति इस नीति के अंतर्गत पीआईयू एवं उत्तर प्रदेश शाासन की समितियों द्वारा ट्रैक की जाएगी तथा प्रगति में महत्वपूर्ण कमी के प्रकरण में, एचएलईसी की संस्तुति पर मध्यावधि में सहायता भी समाप्त की जा सकती है। यह अपेक्षित है कि सीओई पांच वर्षों के अंत में वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा।

3.8.7. इस नीति के अंतर्गत अनुदान का संपूर्ण परिमाण प्राप्त करने के उपरांत सीओई को न्यूनतम 03 वर्ष तक संचालन करना चाहिए। यदि यह संभव न हो, तो उत्तर प्रदेश शासन को यह अनुमति होगी कि वह सीओई की स्थापना करने वाली संस्था को हानि हेतु उत्तरदायी ठहरा सके।

3.8.8. प्रथम वर्ष के उपरांत तथा प्रत्येक आगामी वर्ष में अनुदान अवमुक्त करना सीओई के संतोषजनक कार्य–प्रदर्शन के अधीन होगा। इस प्रयोजन के लिए कार्य की प्रगति व लक्ष्यों की उपलब्धि सीओई द्वारा पीआईयू को प्रेषित की जाएगी।

3.8.9. सीओई द्वारा असंतोषजनक कार्य–प्रदर्शन तथा उसके सतत् कामकाज हेतु आवश्यक शर्तों का अनुपालन नहीं होने के परिणामस्वरूप आगामी सहायता रोक दी जाएगी तथा अव्ययित अनुदान राशि की वापस ली जाएगी।

4. विविध प्राविधान

4.1. एलओसी जारी होने की तिथि से छः (06) माह के भीतर आवेदक द्वारा एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) या इन बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार किए गए आगणन नोट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

4.2. परियोजना की प्रकृति में किसी भी संशोधन/परिवर्तन हेतु, या परियोजना की लागत में परिवर्तन, जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन हो, या एलओसी शर्तों में परिवर्तन आदि हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा नोडल संस्था द्वारा या राज्य सरकार के संबंधित विभाग के माध्यम से इस आवेदन का परीक्षण किया जाएगा तथा एचएलईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

4.3. लाभ की निर्धारित सीमा (परिमाण/अवधि) या नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर, एलओसी को स्वचालित रूप से निरस्त माना जाएगा। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई कोई

भी जानकारी मिथ्या पाई जाती है या भौतिक तथ्यों को छुपाने के आधार पर लाभ प्राप्त किए गए हैं, तो एलओसी/स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी तथा भू–राजस्व के बकाया के रूप में राज्य के प्रचलित कानून के अनुरूप उपक्रम को जारी किए गए समस्त लाभ वसूली योग्य हो जाएंगे।

4.4. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ, राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन के साथ इस नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

4.5. आवेदकों द्वारा नोडल संस्था या सरकार द्वारा मांगी गई सूचना अवश्य प्रस्तुत करनी होगी। इसमे वितरण की शर्त के रूप में समय–समय पर मांगी गई सूचना, यथा– उत्पादन, विक्रय, उत्पादन में बाधा (यदि कोई हो), इकाई के बंद होने आदि के स्पष्ट कारणों के साथ विस्तृत विवरण, स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि के प्रमाणित विवरण, (यदि कोई हो), अचल परिसंपत्तियों का विक्रय/हानि (यदि कोई हो) तथा इकाई के गठन में परिवर्तन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर खातों के लेखापरीक्षित विवरण व पात्र इकाई की बैलेंस शीट आदि सम्मिलित हैं।

5. नीति का प्रशासन

5.1. नोडल संस्था द्वारा आवेदकों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का 2 प्रतिशत प्रभार शुल्क लिया जाएगा, जिसे प्रशासनिक व्यय के रूप में वितरण किएज जाने वाली धनराशि में से घटाया जाएगा।

5.2. इसके अतिरिक्त, नोडल संस्था द्वारा सूचीबद्ध अभियंताओं/मूल्यांकनकर्ताओं व चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के माध्यम से औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन हेतु किए गए व्यय को आवेदक कंपनियों द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा।

5.3. नीति की कोई भी स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) अधिकृत होगी।

5.4. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.2 के अनुसार नीतिगत संशोधनों को अनुमोदित करने हेतु केवल मा. मंत्रिपरिषद् अधिकृत है। इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, नीति संशोधन से पूर्व अनुमोदित प्रोत्साहनों के प्रतिबद्ध पैकेज को वापस नहीं लिया जा सकता है तथा इकाई इस लाभ का पात्र बनी रहेगी।

5.5. यद्यपि, इन दिशा–निर्देशों एवं संलग्न प्रपत्र में किसी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन की आवश्यकता होने पर नोडल संस्था की संस्तुति पर अवस्थापना एंवं औद्योगिक विकास विभाग इस प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

5.6. प्रोत्साहन योजना से संबंधित समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

6. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अंतर्गत स्वतंत्र (Stand-alone) अनुसंधान एवं विकास इकाई/फर्म (आर एंड डी यूनिट/फर्म) और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) एवं उत्कृष्टता केन्द्र (Centres of Excellence) की स्थापना हेतु प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

13.7.23

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या–34/2023/1696(1)/77–6–23–2(एम)/2022टीसी 2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Annexure-1

Registration Form

(Unique ID generated on submission)

Sl.	Head	Details	Supporting documents
1	**Name of applicant**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
2	**Contact details of applicant** **a. Email** **b. Mobile** **c. Address**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
3	**PAN No of applicant**		Copy of PAN
4	**Name of proposed R&D Centre/ COE**		
5	**Brief Project details**		
6	**Location of proposed project**		
7	**Constitution (Society/ Trust/ Others)**		Copy of registration/ deed/ etc.

8	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**			
Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

9	**Proposed Project cost (INR Cr)**		
10	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
11	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Annexure-2

Application Form for Sanction of Letter of Comfort under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**Name of proposed R&D Centre/ CoE**		Project Report (CA certified)
3	**Brief Project details**		Project Report (CA certified)
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Project Report (CA certified)
5	**Proposed project cost (INR Cr)**		Project Report (CA certified)

Part-B: Incentives requested –

<Select the relevant>

Sl	Item	Details
1	**Incentive for Standalone R&D facility (INR Cr)** 1A. Subsidy on Standalone R&D 1B. Subsidy on Registration of Patent/ Copyright/ Trademark/ G.I Registration	
2	**Grant for CoE (INR Cr)**	
3	If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)	
3A	If Y - Name of such Scheme	
3B	If Y - Incentive claimed (INR Cr)	

Note: Besides submitting the formats prescribed in these rules, the applicant will have to submit the following supporting documents as well -

1) Project Report (DPR) should be prepared by external consultant / Chartered Accountant

2) Charted Accountant's Certificate for break up of Project Cost

Annexure-3

Application Form for Disbursal of Incentives under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**LoC No & Date of Issuance**		Copy of LoC sanctioned
3	**Name of proposed R&D Centre/ CoE**		
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Enclose certificate from concern GM DIC or Chartered Accountant
5	**Actual Project cost (INR Cr)**		C.A certified Investment Break up
6	**Date of project completion**		

Part B- Incentives claimed –

<Select the relevant>

1	**Incentive for Standalone R&D facility (INR Cr)** i. Subsidy on Standalone R&D ii. Subsidy on Registration of Patent/ Copyright/ Trademark/ G.I Registration	
2	**Grant for COE (INR Cr)**	
(3) Declarations of incentives claimed (instalments) under IIEPP 2022		
3A	Number of instalments of incentive already claimed	
3B	**Incentive instalment already claimed (INR Cr)**	
Sl	Incentive Head	Incentive Amt (Rs Cr)
(4) If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)		
5A	If Y - Name of such Scheme	
5B	If Y - Incentive claimed under such scheme (INR Cr)	

<Format – 1>

FORMAT FOR PROJECT REPORT (Suggestive)

1. **Executive Summary**

2. **The Project**

    2.1 Details of Project

    2.2 The Company- (Including Details of Group Companies & Financial Performance during last 3 years)

    2.3 Promoters' Background

    2.4 Details of Standalone R&D Facility (if any)

        2.4.1 Title, Location (Inside/ Outside premises)

        2.4.2 Purpose, Objective, Expected outcome

        2.4.3 Details of the research work including benefits to manufacturing sector/ industry, social impact,

        2.4.4 Capital Cost for the research work – Land, Building, Plant & Machinery, Equipment, Tools, Technology acquired & other Fixed Assets

        2.4.5 Collaborations/ Expertise acquired for the research

        2.4.6 Status of registration with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)

    2.5 Present Status of the Project

3. **Means of financing**

    3.1 Equity: - Promoters' Contribution & Source/Internal Accruals/Details of Fund Arrangement from External Sources etc.

    3.2 Debt Contribution Source & Cost of Debt

4. **Land Details & Logistics**

    4.1 Character of Land

    4.2 Requirement of Land Area

4.3 Ownership of the Land

4.4 Present Status of Land

4.5 Location of Land

5. **Details of Proposed Building- Section wise Layout, Measurement, Type of Construction etc.**

6. **Details of Plant & Machinery & MFA**

6.1 Technology Used

6.2 Possible Source of Equipment's/Machine Suppliers

6.3 Cost & Quantity

6.4 Specification & Supplier

6.5 Erection & Commissioning Arrangement

6.6 Pollution/Wastage- Controlling Measures

6.7 Machines to be installed for adhering to pollution norms

7. **Details of Manpower**

7.1 Manpower requirement & availability

7.2 Team size & qualification

7.3 Consulting fees & Costing

8. **R&D / Innovation Strategy & Outcome**

Format 2

Details of Proposed/ Actual Project Cost of Standalone R&D & COE

Sl.	Head	Details
1	**Name of proposed R&D facility**	
2	**Location** **Address**	
3	**Brief objective & purpose of R&D facility**	
4	**Outcome of the facility**	
5	**Project Cost (Rs Cr)** Break-up of Costs incurred in following heads - a. Plant & Machinery b. Office Equipment c. Tools d. Any other fixed asset e. Registration costs incurred on acquiring Patents/ Copyrights/ Trademark/ G.Is	
6	**Means of finance (Rs Cr)** a. Host Industrial unit b. Financial Institute c. Other Sources Total	
7	**Year wise work plan of proposed R&D**	

Note: Applicant must submit this Format certified by an external C.A.

Supporting documents –

(A) Required at the stage of LoC Sanction

1) Prescribed DPR in the required format

2) Affidavit on a stamp paper stating that the host industrial unit has not claimed any assistance from any other departments of State Govt/ GoI for the said R&D unit.

(B) Required at the stage of Disbursal

1) Copy of documents for registration of the Standalone facility with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)

2) Copy of supporting bills/ invoices of the P&M, Equipment, Tools, etc.

3) Copy of certificates/ documents of Patents/ Trademarks/ Copyrights/ Geographical Indicators acquired/ registered.

4) Affidavit on a stamp paper stating that the host industrial unit has not claimed any assistance from any other departments of State Govt/ GoI for the said R&D unit.

<Format – 3>

Declaration

The information provided while filling online form on Nivesh Mitra Portal to avail sanction of incentives under UP IIEPP 2022 is completely true, and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not applied for benefits under any sector-specific or other policy of the Government of Uttar Pradesh.

It is also certified that, the details of financial assistance taken from Government of India Schemes, if any as provided in the application is true and in case of any dovetailing of this scheme with Central Government policies/schemes, the Company would not claim incentives more than upper ceiling defined in the policy from all the schemes put together and in such a case Government of Uttar Pradesh financial assistance shall be reduced to that extent.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits released to me/us under UP IIEPP 2022, if the said benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible whatsoever the reason.

Signature of Authorised Signatory with

Name, Designation and Office Seal

Date:

Place: